जीविका

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

बिहार सरकार

विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800 021, दूरभाष: +91–612–250 4980, फैक्स: +91–612–250 4960, वेबसाइट: www.brlps.in

कार्यालय-आदेश

चमकी बुखार से बचाव संबंधित दिशा-निर्देश

विदित हैं कि, मस्तिस्क ज्वर (AES/जापानी इंसेफलाइटिस/ दिमागी बुखार/ चमकी बुखार) एक वायरल बीमारी है, जो अत्यधिक गर्मी एवं नमी के मौसम में फैलती है। सामान्यत: अप्रैल से जुलाई माह के बीच इस बीमारी के मरीज पाये जाते हैं। इस बीमारी से मुख्यतः 1 से 15 वर्ष के बच्चे प्रभावित होते हैं। विगत वर्षो में इस बीमारी के कारण बहुत सारे बच्चों की असामयिक मृत्यु हुई है साथ ही कुछ बच्चे मानसिक/शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त भी हुए हैं। समय रहते इस बीमारी से बचने हेतु सामुदायिक स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार का कार्य करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य विभाग के निर्गत सं. सं – 223 (11), दिनांक – 24.03.2022 द्वारा विभागवार अपेक्षित बिंदु संख्या – 2 में वर्णित राज्य के चिन्हित जिलों यथा – **दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी, सिवान और वैशाली** के सभी प्रखंडों में जीविका द्वारा चमकी बुखार पर सामुदायिक जागरूकता फ़ैलाने की बात की गयी है | इसी क्रम में जीविका द्वारा उक्त जिलों में निम्नलिखित तीन गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलायी जायेगी :-

मुख्य गतिविधियाँ -

1. **सामुदायिक जागरूकता -** चमकी बुखार के बचाव से संबंधित विभिन्न संचार सामग्रियाँ जैसे - लीफलेट (One Pager), विडियो (फ़्लिप चार्ट का), ऑडियो (फ़्लिप चार्ट का) एवं मोबाइल वाणी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की बैठक में सदस्यों को जागरूक किया जायेगा।

2. **बचाव हेतु तैयारियाँ –**

(i) CNRP और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति के सदस्यों के सहयोग से CM द्वारा 1-15 वर्ष के बच्चों वाले घरों एवं बच्चों की सूचि निर्माण किया जाना है, जिसमे अत्यंत गरीब परिवारों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों का विवरण मोबाइल नंबर के साथ लिया जाना है।

(ii) जिन घरों में 1-15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे हों वहाँ CM, CNRP और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति की दीदियां घर वालों को निम्न बिंदुओं पर चर्चा कर परामर्श देगी :-

- ✓ क्या आपके बच्चे ने आज कुछ मीठा खाया है ?
- ✓ क्या आपके बच्चे को बुखार है ?
- ✓ आपका बच्चा धूप में तो नहीं खेल रहा है ?
- ✓ आपका बच्चा रात में कहीं भूखा तो नहीं सोया ?
- ✓ क्या आप अपने बच्चे का रात्रि 3 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच में विशेष ध्यान रखती हैं क्योंकि चमकी के लक्षण मुख्यतः इसी समय आते हैं ?

(iii) ग्राम संगठन द्वारा आपातकालीन स्थिति के लिए नजदीकी ANM, आँगनवाड़ी सेविका, आशा , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफेरल अस्पताल, एम्बुलेंस एवं स्थानीय वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर

की सूचि तैयार कर रखना ताकि समय आने पर लाभार्थियों या उनके परिजन को उपलब्ध करायी जा सके ।

3. **ग्राम संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा निधि (FSF) से खाद्यान्न की खरीदारी-** स्वयं सहायता समूह से प्राप्त लक्षित लाभार्थियों की सूचि के अनुसार ग्राम संगठन द्वारा अतिरिक्त खाद्य पदार्थ जैसे गुड़, चीनी, ग्लूकोज, चूड़ा, ORS आदि की खरीदारी एवं वितरण खाद्य सुरक्षा निधि (FSF) के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी जिसके अंतर्गत 1-15 वर्ष के बच्चे वाले अत्यंत गरीब परिवारों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को विशेष प्राथमिकता देनी है। वैसे लाभुक परिवार जो खाद्य सुरक्षा निधि (FSF) से खाद्य पदार्थ का लाभ लेंगे इस मद की ऋण राशि का ससमय वापसी ग्राम संगठन में करेंगे एवं सम्बद्ध स्वयं सहायता समूह इसके लिए उन्हें प्रेरित करेंगी ।

गतिविधि	**दायित्व**	**समय सीमा**
जिला स्तरीय विषयगत प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधको का चमकी बुखार पर एक दिवसीय गैर आवासीय उन्मुखीकरण	DPCU	22 अप्रैल 2022 तक
प्रखंड स्तरीय सभी जीविका कर्मी एवं संबंधित कैडर (CM, HNS-MRP एवं CNRP) के लिए प्रखंड स्तर पर चमकी बुखार पर एक दिवसीय गैर आवासीय उन्मुखीकरण	BPIU	30 अप्रैल 2022 तक
चमकी बुखार से संबंधित लीफलेट (One pager) का मुद्रण एवं वितरण	DPCU	15 मई 2022 तक

<u>जीविका कैडरों द्वारा किये जाने वाले कार्य :-</u>

1. **CM के कार्य :-**

- विभिन्न संचार सामग्रियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को चमकी बुखार से बचाव संबंधित सूचना प्रदान करना ।
- अत्यंत गरीब परिवारों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों के 1-15 वर्ष के बच्चों वाले घरों एवं बच्चों की सूचि मोबाइल नंबर के साथ तैयार कर ग्राम संगठन और CNRP दीदी को उपलब्ध कराना ।
- चिन्हित घरों में CNRP और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति कि दीदियों के साथ गृह भ्रमण करना और खाद्य सामग्रियों की खरीदारी एवं वितरण में भी सहयोग करना ।

2. **CNRP के कार्य :-**

- CM द्वारा 1-15 वर्ष के बच्चों वाले घरों एवं बच्चो की सूची निर्माण सुनिश्चित करवाना ।
- CM और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति कि दीदियों के साथ लक्षित घरों का भ्रमण करना और ग्राम संगठनों में खाद्य सामग्रियों की खरीदारी एवं वितरण सुनिश्चित करना ।
- अस्पताल से ठीक हो कर लौटे बच्चों के यहाँ गृह भ्रमण करना एवं उनकी खास देखभाल करने के लिए परिवार वालों विशेषकर माँ को परामर्श देना ।

- ग्राम संगठन वार आपातकालीन स्थिति के लिए नजदीकी ANM, आँगनवाड़ी सेविका, आशा , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफेरल अस्पताल, एम्बुलेंस एवं स्थानीय वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर की सूचि तैयार करवाकर लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध करवाना |

नोट:- इस कार्य हेतु प्रत्येक CNRP को प्रत्येक माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक) राशी रु० 160/- प्रतिदिन की दर से प्रत्येक माह में अधिकतम 5 कार्य दिवस (रु० 800/-) के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देय होगी।

3. MRP-HNS के कार्य :-

- CNRP, CM और ग्राम संगठन की स्वास्थ्य उप-समिति कि दीदियों का लक्षित घरों में भ्रमण का अनुश्रवण और सहयोग प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम संगठन में खाद्य सामग्रियों की खरीदारी एवं वितरण में सहयोग कराना।
- चमकी बुखार से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन तैयार करने में CLF को सहयोग करना और BPIU को प्रेषित करना।

BPIU स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- जिला प्रशासन एवं जीविका द्वारा उपलब्ध करायी गयी IEC सामग्री को ससमय सामुदायिक संगठनों को उपलब्ध कराना।
- सामुदायिक संगठनों के स्तरों पर सम्पादित होने वाले विभिन्न ग।तिविधियों का अनुश्रवण और आवश्यक सहयोग प्रदान करना | इस कार्य हेतु BPIU को प्रति माह (अप्रैल से जुलाई-22 तक) अतिरिक्त 5 दिनों के लिए वाहन का प्रावधान रहेगा।
- चमकी बुखार से संबंधित साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला को प्रेषित करना।

DPCU स्तर पर किये जाने वाले कार्य :-

- जिला स्तर पर चमकी बुखार से संबंधित लीफलेट (One pager) का मुद्रण जीविका की खरीददारी नियमावली के अनुसार सुनिश्चित करना। संबंधित जिला अंतर्गत सभी स्वयं सहायता समूहों और कैडरों (CM, CNRP और MRP-HNS) की संख्या के अनुसार लीफलेट की एक-एक प्रति का मुद्रण करवाकर BPIU को उपलब्ध करवाना।
- यदि जिला प्रशासन द्वारा पर्याप्त मात्रा में लीफलेट (समूहों और कैडरों की संख्या के अनुसार) उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अलग से लीफलेट का मुद्रण जीविका द्वारा नही किया जायेगा | लीफलेट की संख्या कम या लीफलेट उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में ऊपर दिए गये निर्धारित संख्या के अनुसार लीफलेट (one pager) का मुद्रण किया जायेगा।
- <u>Specification of leaflet:-</u>

✓ Paper size:-A4
✓ Thickness:- 90 GSM Glossy paper
✓ Printing :- Multicolor back to back i.e. both sided

- जिला स्तर पर चमकी बुखार से संबंधित विभागों से निरंतर समन्वय स्थापित करना और आवश्यक सहयोग प्राप्त करना।
- AES से संबंधित सभी स्तरों पर सम्पादित होने वाली गतिविधियों का अनुश्रवण, आवश्यक सहयोग और समीक्षा करना।
- AES से संबंधित कार्य हेतु DPCU को प्रति माह (अप्रैल से जुलाई-22 तक) अतिरिक्त 7 दिनों के लिए वाहन रखने का प्रावधान रहेगा।

वित्तीय प्रावधान :-

- चमकी बुखार के लिए जागरूकता हेतु CNRP को देय अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित बजट शीर्ष से किया जायेगा -
  - HNS BCC Component 3 (BTDP प्रखंडो के लिए)
  - IBCB कैडर मद (NRLM/NRETP प्रखंडो के लिए)
- कर्मियों के उन्मुखीकरण पर होने वाला व्यय IBCB (गैर आवासीय) बजट शीर्ष से किया जायेगा |
- लीफलेट (One pager) के मुद्रण पर होने वाला खर्च BTDP प्रखंडो के लिए Component – 3 HNS BCC, NRLM एवं NRETP प्रखंडो के लिए Com-head (KMC – Other Communication Materials and Services) से किया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेशानुसार

राजीव कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि : सम्बंधित विषयगत प्रबंधक – स्वास्थ्य एवं पोषण, अधिप्राप्ति, वित्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |
प्रतिलिपि : सम्बंधित जिला परियोजना प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित |
प्रतिलिपि : सभी राज्य परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |
प्रतिलिपि : मुख्य वित्त पदाधिकारी /अधिप्राप्ति विशेषज्ञ / राज्य वित्त प्रबंधक, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |
प्रतिलिपि : निदेशक / प्रशासनिक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |
प्रतिलिपि : अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका को सूचनार्थ प्रेषित |

राजीव कुमार सिंह
विशेष कार्य पदाधिकारी

पाक्षिक चमकी बुखार (AES) जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट

जिला:		कुल प्रखंड की संख्या:
A	**प्रशिक्षण एवं जागरूकता हेतु किए गए गतिविधियों की स्थिति**	संख्या
1	प्रखण्ड स्तर पर जीविका कर्मीयां की संख्या (BPM/IC, AC & CC)	
2	कुल AES पर प्रशिक्षित जीविका कर्मियों की संख्या	
3	प्रखण्ड में कुल कैडर (CM/MRP/CNRP)जिन्हे प्रशिक्षित किया जाना है	
4	अब तक कुल AES पर प्रशिक्षित किए गए कैडरों की संख्या	
5	मोबाइल वाणी पर प्रशिक्षित कैडरों की संख्या (केवल मुजफ्फरपुर जिला के लिए)	
6	कुल समूह	
7	कुल वितरित AES लीफलेट्स की संख्या (समूह)	
8	समूह की संख्या जिसमे चमकी बुखार पे चर्चा की गई	
9	समूह की संख्या जिसमे चमकी बुखार पे जानकारी टोल फ्री नंबर के द्वारा ली गयी एवं कार्यवाही पुस्तिका में दर्ज कि गई|	
B	**बच्चों की सूची-निर्माण**	
10	कुल ग्राम संगठन	
11	कुल ग्राम संगठन जहाँ 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों कि सूची पूर्ण कर ली गयी	
13	कुल परिवारों की संख्या (जहां 1- 15 वर्ष के बच्चे हो)	
14	कुल 1-15 वर्ष तक के बच्चों की संख्या	
15	गृह भ्रमण द्वारा जागरूक किए गए परिवारों की संख्या (जहां 1 -15 वर्ष के बच्चे हो)	
C	**खाद्य सुरक्षा निधि**	
16	ग्राम संगठन जिनको खाद्य सुरक्षा निधि प्राप्त है	
17	कुल ग्राम संगठन जहाँ अनाज के अलावे ग्लूकोज,ओ o आर o एस o, गुड, चीनी आदि की ख़रीदारी एवं वितरण कि गई और ससमय ऋण वापसी के बारे में बताया गया (अप्रैल 2022 से)	
18	कुल लाभान्वित परिवार की संख्या जिन्हें खाद्य सुरक्षा निधि से ग्लूकोज,ओ o आर o एस o, गुड, चीनी आदि उपलब्ध कराया गया	
19	कुल अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार/महादलित जिन्हे खाद्य सुरक्षा से लाभ हुआ (ग्लूकोज,ओ o आर o एस o, गुड, चीनी आदि)	
D	**वाहन टैगिंग की स्थिति**	
20	कुल ग्राम संगठन जहाँ वाहनो को सूचीवद्ध किया गया है	
२१	कुल वाहनो की संख्या जिसे ग्राम संगठनो मे सूचीवद्ध किया गया है	
E	**अन्य गतिविधियाँ**	
22		
23		
24		

Signed by Rajiv Kumar Singh
Date: 20-04-2022 17:39:20
Reason: Approved